

आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 24.04.2025 को 09:30 बजे पूर्वाह्न में आयोजित प्राधिकार के बैठक की कार्यवाही।

कार्यावली सं०- 01

प्राधिकार की गत बैठक दिनांक 26.03.2025 के कार्यवाही के अनुपालन पर विचार :-

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं०-02

प्राधिकार की बैठक दिनांक -26.03.2025 के बाद निर्गत राष्ट्रीय परमिट का ब्यौरा :-

(क) राष्ट्रीय परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

(ख) कुल- 27 प्राधिकरण-पत्र निर्गत किए गये हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं०-03

प्राधिकार की बैठक दिनांक-26.03.2025 के बाद निर्गत पीक अप भान / ट्रक के स्थाई परमिट /अस्थायी परमिट का ब्यौरा :-

(क) ट्रक / पीक अप भान का स्थाई परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं०-04

प्राधिकार की बैठक दिनांक -26.03.2025 के बाद बस /मिनी बस /सिटी रार्ड आदि के निर्गत अस्थाई परमिट का ब्यौरा :-
बस /मिनी बस /सिटी रार्ड के कुल-261 (दिनांक 22.04.2025 तक) EXCURSION परमिट निर्गत किए गए हैं।

विचारोपरान्त इसे संपुष्ट किया गया।

कार्यावली सं०-05.

प्राधिकार की बैठक दिनांक-26.03.2025 के बाद बस /मिनी बस /सिटी रार्ड आदि के स्थाई परमिट की स्वीकृति पर विचार:-

दिनांक-26.03.2025 तक बस /मिनी बस के कुल-18 स्थायी परमिट की स्वीकृति पर विचार किया गया:-

क्र०	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं० / वाहन का प्रकार एवं मॉडल / वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति / अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	दिवाकर कुमार	BR11T-7377 (बस) 2015 Cap-43	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-03 कुल दूरी-330	अप्राप्त	वाहन सं०-BR11T7377 के वाहन स्वामी द्वारा मान्य शुल्क के साथ प्रकाशित समय-सारणी में संशोधित करने हेतु एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के अनुरोध पर इनके द्वारा प्रस्तुत संशोधित समय-सारणी पर अगामी बैठक में विचार किया जायेगा।
2	दिवाकर कुमार	BR11PA-5565 (बस) 2017 Cap-42	रूपौली से पूर्णिया कुल खेप-03 कुल दूरी-330	अप्राप्त	स्वीकृत
3	कल्याण कुमार	BR11PC-7802 (बस) 2023 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	अप्राप्त	स्वीकृत
4	दिवाकर कुमार	BR11PD-2777 (बस) 2024 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	अप्राप्त	स्वीकृत
5	अजय कृष्ण माधव	BR11PD-5665 (बस) 2025 Cap-41	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-340	अप्राप्त	स्वीकृत
6	कुमार राज	BR11PD-1770 (बस) 2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	अप्राप्त	स्वीकृत

8

21/4

7	निलेश कुमार चौधरी	BR11PD-1769 (बस) 2025 Cap-45	पूर्णिमा से रुपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	अप्राप्त	स्वीकृत
8	विन्द वासीनी देवी	BR39PA-5029 (बस) 2025 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-2 कुल दूरी-360	अप्राप्त	स्वीकृत
9	मो0 वासीक रहमानी	BR38P-6985 (बस) 2025 Cap-41 (MMPPY)	सिकटी से पूर्णिमा कुल खेप-01 कुल दूरी-182	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत क्रय ।	स्वीकृत
10	उज्जवल कुमार साह	BR37P-5456 (बस) 2024 Cap-45 (MMPPY)	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-04 कुल दूरी-400	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अंतर्गत क्रय ।	स्वीकृत
11	सन्नी कुमार	BR37P-5982 (बस) 2025 Cap-41	दिघलबैंक से किशनगंज कुल खेप-03 कुल दूरी-300	अप्राप्त	स्वीकृत
12	विन्द वासीनी देवी	BR39PA-5028 (बस) 2025 Cap-41	कटिहार से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-360	अप्राप्त	स्वीकृत
13	कल्याण कुमार	BR10PA-6147 (बस) 2015 Cap-43	रुपौली से पूर्णिमा कुल खेप-03 कुल दूरी-330	अप्राप्त	परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।

14	शिव कुमार अग्रवाल	BR38P-0105 (बस) 2014 Cap- 41	जोगबनी से पूर्णिया कुल खेप-01 कुल दूरी-180	अप्राप्त	परमिट की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।
15	वकील कुमार यादव	BR11N-9707 (बस) 2012 Cap- 41	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप-02 कुल दूरी-340	BR11PB9707 के वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-3134A को प्रस्थापित कर इसमें अंकित समय-सारणी पर अपने वाहन सं०-BR11N9707 का परमिट लेने हेतु आवेदन एवं शपथ पत्र समर्पित किया गया है	वाहन सं०-BR11PB9707 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-3134A जिसकी वैधता 19.12.2026 तक है जो मान्य शुल्क के साथ परमिट प्रस्थापित की स्वीकृति दी जाती है और इसमें अंकित समय-सारणी पर वाहन सं०-BR11N9707 का परमिट का निर्माण की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि 15 वर्ष पूरा होने से एक माह पूर्व वाहन स्वामी अपने वैध वाहन से अपने परमिट का प्रतिस्थापन करा लेंगे।
16	मुकेश कुमार चौधरी	BR11PD-3155 (बस) 2024 Cap- 41	पूर्णिया से भागलपुर कुल खेप-03 कुल दूरी-510	(1.)वाहन सं०-BR39P4329 के वाहन स्वामी मनोज यादव द्वारा वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2021-SC-3211A से भागलपुर ज़िरो माईल प्रस्थान 12:09 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का भागलपुर जीरो माईल प्रस्थान 12:10 है। (2.) वाहन सं०-BR11PC7656 के वाहन स्वामी अश्वनी अज द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं०-BR2023-SC-1250A से पूर्णिया प्रस्थान 15:32 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का पूर्णिया प्रस्थान 15:33 है।	आवेदक भागलपुर जीरो माईल प्रस्थान 12:08 एवं पूर्णिया प्रस्थान 15:29 से संशोधित करते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करेगे जिसे कार्यालय सूचना पट्ट पर एक सप्ताह हेतु प्रकाशित किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्माण की स्वीकृति दी जाती है एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसकी सुनवाई प्रधिकार के अगामी बैटक में की जाएगी।

17	प्रिंस शुभम	BR11PD-2045 (बस) 2025 Cap-41	पूर्णिया से रूपौली कुल खेप-04 कुल दूरी-440	वाहन सं0-BR11T7377 के वाहन स्वामी दिवाकर कुमार द्वारा अपने वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2022-SC-0755A से रूपौली प्रस्थान बिन्दु 11:07 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता का रूपौली प्रस्थान 11:10 है।	आवेदक को मुख्य प्रस्थान बिन्दु रूपौली पर 04 मिनट का न्यूनतम समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जात है। जिसका प्रकाशन एक सप्ताह हेतु कार्यालय सूचना पट्ट पर किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसकी सुनवाई प्रधिकार की अगामी बैठक में की जाएगी।
----	-------------	---------------------------------------	--	--	--

कार्यावली सं0-05(ख)

प्राधिकार की बैठक दिनांक-26.03.2025 के बाद निर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 1 स्थायी परमिट की संपुष्टि पर

विचार:-

क्र0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6
1	बी.एस.आर.टी. सी. (BUIDCO)	BR01PH-4315 (बस) 2017 Cap-33	पूर्णिया से कटिहार कुल खेप-3 कुल दूरी-192	(1.)वाहन सं0-BR39PA4201 की वाहन स्वामी विंदवासनी देवी द्वारा वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-1287A से कटिहार प्रस्थान 17:15 पर आपत्ति दी गई है, आपत्तिकर्ता का कटिहार प्रस्थान 17:17 है। (2.) वाहन सं-BR11T7688 के वाहन स्वामी आलोक चौधरी द्वारा वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC-2820A से पूर्णिया प्रस्थान 10:30 पर आपत्ति दी गई है। आपत्तिकर्ता पूर्णिया प्रस्थान 10:31 है।	विचारधीन आवेदन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पूर्णिया का है। आपत्तिकर्तार्थों एवं आवेदक का परिचालन मार्ग सामान है। मुख्य प्रस्थान बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखा जाना आवश्यक है। आवेदक को आपत्ति ग्रस्त दोनों बिन्दु पर न्यूनतम 4 मिनट का समय अंतराल रखते हुए संशोधित समय-सारणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है। जिसका प्रकाशन एक सप्ताह हेतु कार्यालय सूचना पट्ट पर किया जाएगा। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर परमिट निर्गमन की स्वीकृति दी जाएगी एवं आपत्ति प्राप्त होने पर इसकी सुनवाई प्रधिकार की अगामी बैठक में की जाएगी।

कार्यावली सं0-06.

प्राधिकार की बैठक दिनांक 26.03.2025 के बाद बस/मिनी बस/सिटी राईड आदि के परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर

विचार:-

बस/मिनी बस के कुल-03 स्थायी परमिट प्रतिहस्ताक्षर की स्वीकृति पर विचार किया गया :-

क्र0	वाहन स्वामी का नाम एवं पता	वाहन सं0 / वाहन का प्रकार एवं मॉडल/वर्ष	मार्ग का नाम	परमिट सं0	आपत्ति/अभियुक्ति	निर्णय
1	2	3	4	5	6	7
1.	चितरंजन कुमार	BR19D-7597 (बस) 2012 Cap- 41	सहरसा से जोगबनी कुल खेप-01 कुल दूरी-250	BR2025-SC-0416A क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कोशी प्रमंडल, सहरसा से निर्गत।	अप्राप्त	स्वीकृत
2	राजेश कुमार यादव	BR43G-6573 (बस) 2016 Cap- 42	जोगबनी से सहरसा कुल खेप-01 कुल दूरी-276	BR2025-SC-0415A क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कोशी प्रमंडल, सहरसा से निर्गत।	अप्राप्त	स्वीकृत
3	राजेश कुमार यादव	BR43P-9280 (बस) 2022 Cap- 41	जोगबनी से सहरसा कुल खेप-01 कुल दूरी-276	BR2025-SC-0414A क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कोशी प्रमंडल, सहरसा से निर्गत।	अप्राप्त	स्वीकृत

कार्यावली सं0-6(क)

वाहन सं0-BR11PB8752 के वाहन स्वामी श्रीमती मीतु देवी द्वारा वाहन सं0-BR37B-3722 की उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक होने के कारण वाहन के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2024-SC2642A को रद्द करने का आवेदन पत्र समर्पित किया है। वाहन सं0-BR37B-3722 का निबंधन वर्ष-फरवरी, 2010 है, परमिट इस प्राधिकार द्वारा निर्गत है। यह वाहन शैटा-पूर्णिया मार्ग पर परिचालित है एवं परिचालन दूरी 220 कि0मी0 है। उक्त वाहन का उम्र सीमा फरवरी, 2025 में 15 वर्ष पूर्ण हो गया है।

(ख) वाहन सं0-BR39P4329 के वाहन स्वामी विंदवासनी देवी द्वारा वाहन सं0-BR11G7273 के 15 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त इसके पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट सं0-BR2023-SC-0422A को रद्द करने का अनुरोध संबंधी आवेदन पत्र समर्पित किया है। वाहन

सं-BR11G7273 का निर्बंधन वर्ष दिसम्बर, 2009 है एवं परमिट इस प्राधिकार से निर्गत है। यह वाहन कटिहार से भागलपुर मार्ग पर परिचालित है एवं परिचालन दूरी 360 कि०मी० है। उक्त वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष दिसम्बर, 2024 में पूर्ण हो गया है।

उपयुक्त दोनों वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक है ऐसे परिस्थिति में प्रतिदिन केवल 100 km परिचालन दूरी अनुमान्य है।

लेकिन वाहन स्वामी द्वारा अब तक अपने वैद्य वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।
निर्णय:- उक्त दोनों वाहन स्वामी एक पक्ष के अंदर अपने परमिट का वैद्य वाहन से प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराएँ। वाहन प्रतिस्थापन नहीं कराए जाने पर एक पक्ष के बाद परमिट रद्द कर दी जाए।

कार्यावली सं०-7.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 26.03.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

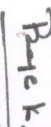
- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के 02 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संयुक्त किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।


अपर समाहर्ता, पूर्णिया
—सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


(शाहिद परवेज)
संयुक्त आयुक्त सह सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पूर्णिया।


26.03.2025.
(राजेश कुमार)
आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,
—सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
पूर्णिया।

सं0-BR11G7273 का निबंधन वर्ष दिसम्बर, 2009 है एवं परमिट इस प्राधिकार से निर्गत है। यह वाहन कटिहार से भागलपुर मार्ग पर परिचालित है एवं परिचालन दूरी 360 कि०मी० है। उक्त वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष दिसम्बर, 2024 में पूर्ण हो गया है।

उपर्युक्त दोनों वाहन का उम्र सीमा 15 वर्ष से अधिक है ऐसे परिस्थिति में प्रतिदिन केवल 100 km परिचालन दूरी अनुमान्य है, लेकिन वाहन स्वामी द्वारा अब तक अपने वैद्य वाहन से परमिट का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।

निर्णय:- उक्त दोनों वाहन स्वामी एक पक्ष के अंदर अपने परमिट का वैद्य वाहन से प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराएँ। वाहन प्रतिस्थापन नहीं कराए जाने पर एक पक्ष के बाद परमिट रद्द कर दी जाए।

कार्यावली सं०-7.

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 26.03.2025 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के निर्गत स्थायी/अस्थायी परमिट का ब्यौरा:-

- (क) जीप एवं सदृश्य वाहनों के कोई स्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (ख) ऑटो रिक्शा/मोटर कैब के 02 स्थायी परमिट निर्गत किया गया है।
- (ग) ट्रैक्टर ट्रैलर के स्थायी/नवीकरण परमिट निर्गत नहीं किया गया है।
- (घ) ट्रक/पी भान के अस्थायी परमिट निर्गत नहीं किया गया है।

विचारोपरान्त इसे संयुक्त किया गया।

अंत में बैठक की कार्यवाही सद्यः समाप्त की गई।

ह०/

अपर समाहर्ता, पूर्णिया

—सह—सदस्य,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पूर्णिया।

ह०/

(शाहिद परवेज)

संयुक्त आयुक्त सह सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,

पूर्णिया।

ह०/

(राजेश कुमार)

आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल,

—सह—अध्यक्ष,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

पूर्णिया।

ज्ञापांक 511

दिनांक 24-04-2025

प्रतिलिपि:- 01. राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 02. अपर समाहर्ता—सह—सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- 03. जिला परिवहन पदाधिकाारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(शाहिद परवेज)

संयुक्त आयुक्त सह सचिव

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया।